

29.6.18

पंजाबली आण्ड कम्प कोर्ट गुदावावनी में पेश हुई।
पंजावनी का अपवलेकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना
पत्र न्यायालय द्वारा के निर्णय न डिली दिनांक
23.2.2015 के विकस दिनांक 8.7.2015 को प्रस्तुत
किया गया है। जो मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है
निगमानुसार प्रार्थना को निर्णय के विकस सभाग न्यायालय
में अपील करनी थी लेकिन इसके द्वारा नियत समय
में अपील नहीं गई है। प्रार्थना द्वारा प्रार्थना पत्र के
संगठन को प्रार्थना पत्र द्वारा 5 मियाद अधिनियम
का लागू रखा गया है वह साबित नहीं होने के स्वारिभा
के साथ है। उक्त विवेचन के प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र का आदेश 9 नियम 13 व 151 CPC का
अर्थ प्रार्थना पत्र द्वारा 5 मियाद अधिनियम का
आधारहीन होने के स्वारिभ किया गया है। पंजावनी
निगमानुसार होकर नंबर से काम हो लया जा खिवा
दफतर हो।

निर्णय आण्ड दिनांक 29.6.18 को कम्प कोर्ट गुदावावनी
में लुकाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बुधवारवाटी (अध्याय)